विचारणीय विषय जोनल एईएफआई वरिष्ठ परामर्शदाता

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पूर्णतः संविदा आधार पर उपर्युक्त पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

परियोजना का संक्षिप्त विवरणः

एईएफआई निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत भारत में वर्ष 1988 में की गई थी तथा एईएफआई निगरानी दिशा-निर्देश पहली बार वर्ष 2005 में प्रकाशित किए गए थे। मौजूदा राष्ट्रीय एईएफआई निगरानी कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने व प्रतिरक्षण प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सहयोग देने के साथ-साथ एईएफआई रिपोर्टिंग, जांच, डाटा प्रबंधन सहित आपदा आकलन, निगरानी, डॉक्यूमेंटेशन, आकलन प्रचालन संबंधी अनुसंधान व प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय एईएफआई समिति की वर्ष 2008 में स्पष्ट भूमिकाओं व उत्तरादायित्वों के साथ एईएफआई सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। एईएफआई सचिवालय जॉन स्नो इंडिया (जेएसआई) की प्रतिरक्षण तकनीकी सहायता इकाई(आईटीएसयू) में अंतःस्थापित है। एईएफआई सचिवालय राष्ट्रीय एईएफआई समिति के साथ मिलकर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संपूर्ण जवाबदेही के साथ आईटीएसयू एईएफआई नेतृत्व के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगा। जोनल एईएफआई परामर्शदाता राज्य स्तरीय समन्वयन को बेहतर बनाने व अभिज्ञात राज्यों में एईएफआई निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए जोनल स्तर पर प्रतिरक्षण प्रभाग व एईएफआई सचिवालय का प्रतिनिधि होगा।

कार्य विवरण/उत्तरदायित्वः

अभिज्ञात राज्यों में एईएफआई निगरानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देना व टीका फार्माकोविजिलेंस कार्यकलापों के रणनीतिक प्रबंधन हेतु कार्यक्रम लीडर-एईएफआई, एईएफआई सचिवालय व औषध विनियामक के साथ मिलकर कार्य करना, विशेषकर देश में एईएफआई निगरानी से संबंधित कार्यकलाप, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल है:

राज्यों में एईएफआई निगरानी का सुदृढ़ीकरण व टीका सुरक्षा को बेहतर बनाना।

- मानक प्रारूपों में एईएफआई की शीघ्र अधिसूचना, रिपोर्टिंग व जांच को सुदृढ़ करने के लिए जोनल परामर्शदाता को दिए गए राज्यों (व जिलों) को सहयोग देना।
- रिपोर्ट किए गए एईएफआई मामलों व एईएफआई निगरानी कार्यक्रम के निष्पादन से संबंधित राज्यों/जिलों को नियमित फीडबैक प्रदान करना।
- लंबित दस्तावेजों हेतु जिलों के साथ फॉलो-अप करना, गुणवत्ता आपात आकलन हेतु प्रारंभिक जांच सुनिश्चित करना इसके बाद जोन के रिपोर्ट किए गए मामलों का डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना।
- राज्यों व जिलों में एईएफआई निगरानी कार्यकलापों हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना व कार्यान्वयन में सहयोग देना।
- एईएफआई कार्यकलापों की निगरानी हेतु राज्यों व जिलों की क्षेत्रीय दौरा करना, विशेष स्कीम के गंभीर एईएफआई की जांच का समन्वयन करना व प्रतिरक्षण प्रभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)/कार्यक्रम लीडर- एईएफआई को फीडबैक प्रदान करना।
- राज्यों में एईएफआई तकनीकी सहयोगी केन्द्रों की पहचान करने व समन्वयन में सहयोग प्रदान करना।
- एईएफआई निगरानी कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता हेतु व्यवसायिक एसोसिएशनों (आईएपी, आईएमए, आईएपीएसएम आदि) के साथ वकालत व समन्वयन।
- सॉफ्टवेयर (वीएईआईएमएस) के माध्यम से एईएफआई की रिपोर्टिंग करने के लिए राज्यों/जिलों को सहायता प्रदान

- एईएफआई हेतु विश्लेषणात्मक उपकरण का विकास व कार्यान्वयन क्षमता निर्माण व अन्य संबंधित गतिविधियों सहित राज्य व जिला स्तर पर एईएफआई सचिवालय द्वारा निर्धारित कार्य पर्यवेक्षण व समन्वयन।
- एईएफआई हेतु अनुसंधान व एम एंड ई सहित राज्यों व जिलों एईएफआई गतिविधियों की योजना कार्यनीति योजना व प्रबंधन में सहायता करना।
- कार्यक्रम त्रुटियों के कारण एईएफआई कम करने के लिए विश्लेषण एईएफआई डाटा व योजना बिंदु पहचान/नीति परिवर्तन
- राज्य एईएफआई समिति हेतु क्षमता निर्माण गतिविधियों का कार्यान्वयन (विशेषतः आपदा मूल्यांकन में) तथा एईएफआई संबंधित प्रशिक्षण सत्रों करने के जिला प्रतिरक्षित अधिकारी।
- एईएफआई मामलों का मीडिया प्रबंधन में राज्य/जिलों की सहायता।
- मीडिया व्यक्तियों व सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रबंधन कार्यशालाओं का समन्वयन।

प्रतिरक्षण सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय विनियामन प्राधिकरण (एनआरए) के साथ समन्वयन

- क्षेत्रीय जांच में प्रतिरक्षण सुरक्षा, सहायता तथा नमूना एकत्रिकरण सिहत एईएफआई मामलों की अनुवर्ती कार्य तथा नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला के साथ समन्वयन करना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर औषध विनियामकों के साथ समन्वय।
- राज्य व जिला स्तरों पर प्रस्तावित फार्माकोविजिलेंस अधिकारी/एसोसिएटस के साथ समन्वयन तथा राज्यों में प्रतिरक्षण सुरक्षा डाटा संयुक्त समीक्षा।
- जोन में विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक सुधार योजना तैयार करने में सहायता।
- क्षेत्र तथा राज्य स्तर पर साझेदारों के साथ कार्य करना।

अपेक्षित/वांछित अर्हताएः

शिक्षाः जन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन में 5 वर्ष अनुभव सहित एमबीबीएस। यदि अभ्यर्थी जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर की अवधि को एमबीबीएस पश्चात अनुभव माना जाएगा। एमपीएच/एमडी वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

अभ्यर्थी के पास सांख्यिकी विश्लेषण ज्ञान, बड़े पैमाने पर प्रतिकूल डाटा को एकत्र करने व विश्लेषण क्षमता तथा बहु साझेदारों के साथ सौहार्दपूर्ण रूप से सूचना साझा करने तथा बहु संस्कृति परिवेश में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।

तैनातीः एईएफआई सचिवालाय, आईटीएसयू, नई दिल्ली

पारिश्रमिक: प्रतिमाह 90,000/-रु. से 1,50,000/रु. के बीच।

आयु सीमाः 45 वर्ष तक (आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को)

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे टीओआर के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र जो एनएचएसआरसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, को डाउनलोड करें तथा दिनांक 25-Sep-2019 तक आवेदन पूर्णतया भर कर rch.recruitment@gmail.com पर ई-मेल करें। अन्य रूप से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में आवेदित पद का उल्लेख किया गया है अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।